प्रेस नोट
यातायात माह नवम्बर–2024
दिनांक 28.11.2024

यातायात माह नवम्बर–2024 के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा कात्यायनी विद्या मंदिर भवानियापुर उपाध्याय इटियाथोक के छात्र/छात्राओं की यातायात जागरूकता रैली को हरी झण्डी दिखा कर किया गया रवाना, आर्थिक रूप से कमजोर दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट भेंट कर वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने व यातायात नियमो का पालन करने हेतु किया गया संकल्पित–

गोण्डा। आज दिनांक 28.11.2024 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा द्वारा थाना इटियाथोक क्षेत्रान्तर्गत यातायात माह नवम्बर–2024 के दृष्टिगत के कात्यायनी विद्या मंदिर भवानियापुर उपाध्याय इटियाथोक के छात्र/छात्राओं की यातायात जागरूकता रैली को हरी झण्डी दिखा कर किया गया रवाना किया गया। जागरूकता रैली द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कर यातायात नियमों के प्रति लोगो को जागरूक किया गया। क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट भेंटकर वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने व यातायात नियमो का पालन करने हेतु जागरूक किया गया साथ ही उन्हें संकल्प दिलाया गया कि वो भविष्य में दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करेंगे। महोदय द्वारा रैली के दौरान आम जनमानस व वाहन चालको को संबोधित करते हुए यातायात नियमों के पालन करने/कराने का संदेश दिया गया।

01. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन/इयरफोन का प्रयोग न करे।
02. नाबालिक बच्चो का वाहन चलाना वर्जित है।
03. दो पहिया वाहन चालक एवम् पीछे बैठी सवारी हेलमेट का प्रयोग करना अनिवार्य है।
04. चार पहिया वाहनों का प्रयोग करते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करे।
05. गाडियों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना नियम विरूद्ध है।
06. गाडियों में निर्धारित क्षमता से अधिक गति से वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।
07. दायें बायें मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करे।
08. वाहनों को निर्धारित स्थान पर ही पार्क करे।
09. वाहनों पर आगे व पीछे दोनो साइड निर्धारित रिफ्लेक्टर टेप लगाकर चले।
11. एम्बुलेंस एवं फायर वाहनों को जाने हेतु रास्ता पहले प्रदान करे।
12. नशे/मादक पदार्थो का सेवन कर वाहन न चलाये।
13. वाहन चलाते समय सड़क पर स्टण्ट न करे।
14. सड़क पर दुर्घटना होने पर घायल व्यक्तियों की मदद करे तथा 112 को सूचित करे।

इस अवसर पर प्र0नि0 इटियाथोक शेषमणि पाण्डेय, ट्रैफिक पुलिस, होमगॉर्ड व पी0आर0डी0 के जवान आदि मौजूद रहे।

प्रेस नोट
साइबर जागरूकता अभियान
दिनांक 28 .11.2024

साइबर अपराध से बचाव के लिये पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा में प्रारम्भ किया व्यापक जागरूकता अभियान ऑपरेशन "साइबर कवच"

साइबर अपराध को इंटरनेट और कंप्यूटर के अवैध उपयोग के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। तकनीकी के विकास के चलते अपराधी भी अपराध करने के नये-नये तरीके इजाद कर रहे है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल व इण्टरनेट बैकिंग का प्रयोग कर रहा है। इंटरनेट के प्रयोग किये जाने से जानकारी के अभाव में कई लोग साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा में आमजन को साइबर अपराध से बचाव एवं इससे निपटने के लिये बरती जाने वाली सावधानियों के प्रचार प्रसार हेतु जनपद में ऑपरेशन "साइबर कवच" अभियान की शुरूआत की गई है। यह ऑपरेशन आज दिनांक 27.11.2024 से एक सप्ताह तक चलाया जाना है। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक प्रतिदिन विद्यालयों, प्रतिष्ठित संस्थाओं एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर वर्कशॉप एवं गोष्ठियां कर इंटरनेट के माध्यम से हो रहे इन अपराधों के बारे में जानकारी देंगे और इंटरनेट के प्रयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी जायेगी । इसके अतिरिक्त विद्यालयों में पम्पलेट वितरित किये जाने तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर पम्पलेट/पोस्टर चस्पा किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

आज अभियान के पहले दिन पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा 'सेठ एम. आर. जयपुरिया स्कूल' में छात्र-छात्राओं एवं स्कूल के स्टाफ के साथ वर्कशाप का आयोजन किया गया। इस दौरान वर्कशाप में क्षेत्राधिकारी नगर, प्रभारी निरीक्षक थाना को० देहात, प्रभारी साइबर सेल व स्कूल के छात्र व स्टाफ आदि सहित करीब 250 छात्र व अध्यापक मौजूद रहे । सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर "साइबर कवच" अभियान का शुभारम्भ किया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रेजेंटेशन (PPT) के माध्यम से सभी को साइबर अपराध की जानकारी दी गयी और बताया कि इंटरनेट के उपयोग की सही जानकारी होने पर साइबर अपराध से बचा जा सकता है । इसी क्रम में ATM बूथ में ट्रांजेक्सन करते समय अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित न रहे, बैंक के नाम पर टेलीफोन कॉल पर एटीएम/बैंक अकाउंट्स सम्बन्धी कोई जानकारी जैसे OTP, CVV नम्बर आदि कभी भी किसी से साझा न करे । बीमा कम्पनी, नौकरी.कॉम के नाम से कॉल किये जाने पर बिना सत्यापन किये कोई जानकारी न दे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर(X), फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर दुरूपयोग कर सकता है। इस प्रकार के एप्स डाउनलोड किये जाते समय प्राईवेसी सम्बन्धी आप्शन का भली-भांति अवलोकन करने के बाद ही सहमती/असहमती देते हुए प्रक्रिया पूर्ण करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें। डिजिटल अरेस्ट से बचाव हेतु बताया गया कि किसी भी अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दें, टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती है, इससे बचने हेतु किसी अज्ञात बैंक खाता में पैसा जमा न करें। कोई कम्पनी कम लागत में अधिक पैसे कमाने का लालच देती है तो सावधान रहिये ऐसी कंपनी फर्जी होती हैं जो आपका पैसा लेकर कंपनी को बंद कर भाग

जाते हैं। ठगों द्वारा फर्जी ऑफिस खोलकर, कम ब्याज दर पर अधिक लोन, बिना किसी कागज के आसानी से लोन दिलवाने हेतु फर्जी विज्ञापन प्रसारित किया जाता है और प्रोसेसिंग फीस के रुप में एकाउंट में रुपये जमा कराके फरार हो जाते है। मोबाइल व सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के सुरक्षित प्रयोग के बारे में भी बताया गया। छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर इंटरनेट प्रयोग किये जाने पर साइबर अपराध के शिकार होने से बचा जा सकता है। जागरूक बनें और अपने धन की स्वयं सुरक्षा करने के सिद्वान्त पर काम करें। अन्त में पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने सभी छात्र-छात्राओं व स्कूल के स्टाफ से अपेक्षा की कि वर्कशॉप में दी गई जानकारी को अपने परिवार, आस-पड़ोस में अधिक से अधिक लोगों को बतायें जिससे की कोई भी व्यक्ति जानकारी के आभाव में साइबर अपराधियों का शिकार न हो। इसी दौरान वर्कशाप में उपस्थित स्कूल के छात्र व स्टाफ को पम्पलेट वितरित किये गये तथा स्कूल के अन्य छात्रों को जागरुक करने हेतु पोस्टर एवं बुकलेट उपलब्ध करायी गयी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 28.11.2024

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा 02 दहेज हत्याभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–279/24, धारा 82(2), 85 बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों–01. सुनील कुमार (पति) पुत्र ननकू उर्फ सूर्यप्रसाद मिश्रा, 02. ननकू उर्फ सूर्यप्रसाद मिश्रा (ससुर) पुत्र रामनाथ निवासीगण ग्राम अहियाचेत थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को सीरपुरवा अहियाचेत मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 25.11.2024 को वादी फूलचन्द्र दूबे पुत्र छेदीराम दूबे नि0 नेवादाहासिमपुर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा द्वारा थाना कौड़िया में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री की शादी दिनांक 25.04.2024 को ग्राम अहियाचेत थाना कौड़िया के रहने वाले सुनील मिश्रा के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही मेरी पुत्री को उसके पति व परिजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था तथा दिनांक 25.04.2024 को दहेज की मांग के चलते हुए प्रताड़ित करते हुए फांसी लगाकर जान से मार दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कौड़िया में नामजद 06 अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें थाना कौड़िया पुलिस टीम द्वारा प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर 02 अभियुक्तों–01. सुनील मिश्रा (पति), 02. ननकू उर्फ सूर्यप्रसाद (ससुर) सीरपुरवा अहियाचेत मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. 01. सुनील कुमार (पति) पुत्र ननकू उर्फ सूर्यप्रसाद मिश्रा नि0 ग्राम अहियाचेत थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
02. ननकू उर्फ सूर्यप्रसाद मिश्रा (ससुर) पुत्र रामनाथ नि0 ग्राम अहियाचेत थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–279/24, धारा 82(2), 85 बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 वीरेन्द्र प्रसाद पाल।
02. का0 इन्द्र कुमार यादव।
03. म0आ0 सरस्वती पाठक।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>साइबर जागरूकता अभियान</u>
<u>दिनांक 28.11.2024</u>

<u>ऑपरेशन "साइबर कवच'' के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा फातिमा सीनियर सेकेण्डरी स्कूल के छात्र/छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव हेतु किया गया जागरूक–</u>

साइबर अपराध को इंटरनेट और कंप्यूटर के अवैध उपयोग के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। तकनीकी के विकास के चलते अपराधी भी अपराध करने के नये–नये तरीके इजाद कर रहे है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल व इण्टरनेट बैकिंग का प्रयोग कर रहा है। इंटरनेट के प्रयोग किये जाने से जानकारी के अभाव में कई लोग साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा में आमजन को साइबर अपराध से बचाव एवं इससे निपटने के लिये बरती जाने वाली सावधानियों के प्रचार प्रसार हेतु जनपद में ऑपरेशन "साइबर कवच'' अभियान की शुरूआत की गई है। यह ऑपरेशन दिनांक 27.11.2024 से एक सप्ताह तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक प्रतिदिन विद्यालयों, प्रतिष्ठित संस्थाओं एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर वर्कशॉप एवं गोष्ठियां कर इंटरनेट के माध्यम से हो रहे इन अपराधों के बारे में जानकारी दे रहे है और इंटरनेट के प्रयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में पम्पलेट वितरित कर महत्वपूर्ण स्थानों पर पम्पलेट/पोस्टर चस्पा किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

आज अभियान के दूसरे दिन पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा फातिमा सीनियर सेकेण्डरी स्कूल में छात्र–छात्राओं एवं स्कूल के स्टाफ के साथ वर्कशाप का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान वर्कशाप में क्षेत्राधिकारी नगर, प्रभारी निरीक्षक थाना को० नगर, प्रभारी साइबर सेल व स्कूल के छात्र व स्टाफ आदि सहित करीब 300 छात्र व अध्यापक मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रेजेंटेशन (पीपीटी) के माध्यम से सभी को साइबर अपराध की जानकारी दी गयी और बताया कि इंटरनेट के उपयोग की सही जानकारी होने पर साइबर अपराध से बचा जा सकता है । इसी क्रम में एटीएम में ट्रांजेक्सन करते समय अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित न रहे, बैंक के नाम पर टेलीफोन कॉल पर एटीएम/बैंक अकाउंट्स सम्बन्धी कोई जानकारी जैसे ओटीपी, सीसीवी नम्बर आदि कभी भी किसी से साझा न करे। बीमा कम्पनी, नौकरी.कॉम के नाम से कॉल किये जाने पर बिना सत्यापन किये कोई जानकारी न दे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर(एक्स), फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर दुरूपयोग कर सकता है। इस प्रकार के एप्स डाउनलोड किये जाते समय प्राईवेसी सम्बन्धी आप्शन का भली–भांति अवलोकन करने के बाद ही सहमती/असहमती देते हुए प्रक्रिया पूर्ण करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की

डिटेल शेयर न करें। डिजिटल अरेस्ट से बचाव हेतु बताया गया कि किसी भी अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दें, टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती है, इससे बचने हेतु किसी अज्ञात बैंक खाता में पैसा जमा न करें। कोई कम्पनी कम लागत में अधिक पैसे कमाने का लालच देती है तो सावधान रहिये ऐसी कंपनी फर्जी होती हैं जो आपका पैसा लेकर कंपनी को बंद कर भाग जाते हैं। ठगों द्वारा फर्जी ऑफिस खोलकर, कम ब्याज दर पर अधिक लोन, बिना किसी कागज के आसानी से लोन दिलवाने हेतु फर्जी विज्ञापन प्रसारित किया जाता है और प्रोसेसिंग फीस के रुप में एकाउंट में रुपये जमा कराके फरार हो जाते है। मोबाइल व सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के सुरक्षित प्रयोग के बारे में भी बताया गया। छोटी–छोटी बातों को ध्यान में रखकर इंटरनेट प्रयोग किये जाने पर साइबर अपराध के शिकार होने से बचा जा सकता है। जागरूक बनें और अपने धन की स्वयं सुरक्षा करने के सिद्वान्त पर काम करें। अन्त में पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने सभी छात्र–छात्राओं व स्कूल के स्टाफ से अपेक्षा की कि वर्कशॉप में दी गई जानकारी को अपने परिवार, आस–पड़ोस में अधिक से अधिक लोगों को बतायें जिससे की कोई भी व्यक्ति जानकारी के आभाव में साइबर अपराधियों का शिकार न हो। इसी दौरान वर्कशाप में उपस्थित स्कूल के छात्र व स्टाफ को पम्पलेट वितरित किये गये तथा स्कूल के अन्य छात्रों को जागरुक करने हेतु पोस्टर एवं बुकलेट उपलब्ध करायी गयी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 28.11.2024</u>

<u>थाना को0 नगर पुलिस द्वारा प्रतिबन्धित नशीली गोलियों के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–</u>

<u>कार्यवाहीः–</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण, शान्ति सुरक्षा व्यवस्था व संदिग्धों वस्तुओं/वाहनों की चेकिंग के दौरान 130 नशीली गोलियों (अल्प्राजोलम) के साथ अभियुक्त रईश पुत्र छोटू नि0 ग्राम कटहरिया मोहल्ला थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

आज दिनांक 28.11.2024 को थाना को0 नगर के उ0नि0 डिग्री प्रसाद गौतम मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गोंडवी मैदान गेट की तरफ अवैध मादक पदार्थ लेकर एक व्यक्ति आ रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल द्वारा बताये गए स्थान पर पहुंचकर अभियुक्त रईश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 130 शीली गोलियां (अल्प्राजोलम) बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

01. रईश पुत्र छोटू नि0 ग्राम कटहरिया मोहल्ला थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–899/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. 130 टेबलेट अल्प्राजोलम।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 डिग्री प्रसाद गौतम।
02. का0 दिवस हलदार।
03. का0 राहुल गौड़।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 28.11.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान पीडितों की समस्याओं को सुनकर साइबर कवच अभियान के दृष्टिगत पीडितों को साइबर जागरूकता हेतु किया गया कार्ड वितरित–

गोण्डा। आज दिनांक 28.11.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनसुनवाई के दौरान पीड़ितों की समस्याओं को सुनकर विधिक निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा साइबर कवच अभियान के दृष्टिगत पीड़ितों को साइबर अपराधों से बचने हेतु जागरूक करते हुए साइबर अपराध से बचने हेतु बर्ती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया गया। महोदय द्वारा पीड़ितों को साइबर जागरूकता कार्ड वितरित कर साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत 1930 पर काल करने हेतु बताया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।